



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
www.rbi.org.in

RBI/2016-17/172

DPSS.CO.PDNo.1431/02.14.003/2016-17

डिसेम्बर 6, 2016

चेयारम्यान एवंग प्राबन्धिक निर्देशक / मुख्य कार्यानिर्वाही आधिकारिक आरआरवि सह सकल तपशिलभुक्त बाणिज्यिक ब्याङ्क / शहराङ्कलिक समबाय ब्याङ्क / राज्य समबाय ब्याङ्क/ जेला केन्द्रीय समबाय ब्याङ्क/ प्राधिकृत कार्ड पेमेन्ट नेटओयर्कसमूह/ पेमेन्ट ब्याङ्क एवंग स्मल फिन्प्यास ब्याङ्क

महाशया/ महाशय,

**बिना कार्ड-दाखिल लेनदेन- कार्ड नेटओयर्क द्वारा प्रदत्त प्रामाण्यस्वीकृति सम्पर्कित व्यवहाराय ₹ 2000/- पर्यन्त प्रामाण्यस्वीकृति सम्पर्कित अतिरिक्त पालनीय विषयादि थेके छाड**

खुचरो अर्थप्रदान व्यवहाराय सुरक्षा एवंग दक्षता बाडाते व्यवहाराय साथे युक्त अंशग्रहणकारीदेर योगदान समेत भारतीय रिजर्व ब्याङ्क बेश किछु संख्याक उद्योग ग्रहण करे चलेछे। एहि मरमे, कार्ड मारफत लेनदेनके युक्त रेथे निरापत्ता एवंग युँकि प्रशमन संक्रान्त पदक्षेपसमूहेर उपर बिभिन्न निर्देशविधि समये समये जारि करा हलेछे, यार मध्ये अन्तर्भुक्त आछे अनलाइन सतर्कवार्ता एवंग प्रामाण्यस्वीकृति सम्पर्कित अतिरिक्त पालनीय विषय-एर उपर आदेशविधिसमूह। एहिसकल पदक्षेप कार्ड भित्तिक अर्थप्रदानेर व्यवहार सम्बन्धे ग्राहक आश्चर्यविश्वास वृद्धिते अवदान योग करेछे।

2. रिजर्व ब्याङ्क शिङ्खलेके जडित किछु अंश थेके अन्न मूल्येर अनलाइन बिना कार्ड-दाखिल(सिएनपि) लेनदेनेर जन्य एएफए सम्पर्कित पालनीय प्रयोजन सम्बन्धे पर्यालोचना करार अनुरोध पेये चलेछे। येहेतु अनुरोधगुल्लिर मध्ये सर्वोच्च संख्याकई एएफए सम्पर्कित पालनीय प्रयोजन सम्बन्धे कारवारी-निर्दिष्ट छाड-एर जन्य, पद्धतिगत सुते सेगुलि यथायथ छिल ना। प्राथित छिल ये प्राधिकृत कार्ड नेटओयर्कसमूह द्वारा प्रदत्त एकटि विकल्प समाधान या अन्न मूल्येर लेनदेनेर जन्य पर्याप्त निरापत्ताय साथे ग्राहक सुविधार उद्देश्य मेटाते पारबे। एहि काठामोय, कार्ड जारि करा ब्याङ्क तार ग्राहकदेर आग्रह प्रकाशेर भित्तिते संश्लिष्ट कार्ड नेटओयर्केर “अर्थप्रदान सम्पर्कित प्रामाण्यस्वीकृति समाधान”(“पेमेन्ट अथेन्टिकेशन सलिउशनस”) प्रस्ताव करबे। येसकल ग्राहक एहि सुविधाटिर जन्य आग्रह प्रकाश करबे तादेरके एकवार-भित्तिक पञ्जीकरण पद्धतिर भितर दिये येते हबे यार मध्ये प्रयोजन हबे कार्ड सम्पर्के विस्तारित तथ्यादि इत्यादि एवंग जारि करा ब्याङ्क द्वारा एएफए नथिभुक्तिकरणे। तारपर, पञ्जीकृत ग्राहकगणके सेहिसकल कारवारी-अवस्थान येगुलिते एहि सुविधाटि देओया हय सेगुलिते प्रतिटि लेनदेनेर जन्य कार्ड सम्पर्कित विस्तारित तथ्यादि पुर्ननथिभुक्त करार दरकार हबे ना एवंग एर द्वारा समय एवंग श्रम उभयई रक्षा पाबे। एहि काठामोय- कार्ड सम्पर्कित विस्तारित तथ्यादि या इतेमध्ये पञ्जीकृत आछे परिचय सम्बन्धित प्राथमिक पालनीय विषय(फ्याक्चर) हिसाबे विवेचित हबे, यखन समाधानटिते लग इन करार समय व्यवहृत परिचयज्जापक तथ्यादि(या समाधान प्रदानकारी कार्ड नेटओयर्क द्वारा निश्चित करा हबे) अतिरिक्त पालनीय विषय हिसाबे गृहित हबे।

3. तदनुसारे, लेनदेन राशि ₹ 2000/- पर्यन्त अनलाइन सिएनपि लेनदेनेर लेके प्राधिकृत कार्ड नेटओयर्कसमूह द्वारा, संश्लिष्ट कार्ड जारि करा एवंग अधिग्रहणकारी ब्याङ्केर अंशग्रहणेर समस्ये प्रदत्त ‘अर्थप्रदान सम्पर्कित प्रामाण्यस्वीकृति समाधान’-एर जन्य एएफए संक्रान्त पालनीय प्रयोजनीयताय छाड देओया हयेछे, एहि शर्तसापेके ये:

- केवलमात्र प्राधिकृत कार्ड नेटओयर्कसमूहई कार्ड जारि करा एवंग अधिग्रहणकारी ब्याङ्केर अंशग्रहणेर समस्ये एहिरूप अर्थप्रदान सम्पर्कित प्रामाण्यस्वीकृति समाधानगुलि दिते पारबे,
- एहि समाधानगुलि देवार समय ग्राहकेर सम्मति निते हबे,

- iii. সমস্ত কারবার প্রকারগুলিতে বিনা কার্ড-দাখিল লেনদেনের ক্ষেত্রে এই সমাধানগুলির অধীনে এএফএ-এর ছাড় লেনদেন-প্রতি সর্বোচ্চ ₹ 2,000/- মূল্যের রাশি পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। ব্যাঙ্ক এবং কার্ড নেটওয়ার্কসমূহ স্বাধীনভাবে তাদের গ্রাহকদের সুবিধা দিতে লেনদেন-প্রতি নিম্নতর রাশি সীমা হিসাবে স্থির করতে পারে,
- iv. ₹ 2000/-রাশির লেনদেন সীমা অতিক্রম করলে, বিনা কার্ড-দাখিল লেনদেনগুলিকে আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান নির্দেশবিধি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক এএফএ-র সাথে পালনীয় পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে; এমনকি এই সীমার তুলনায় কম মূল্যের লেনদেনগুলির ক্ষেত্রেও, গ্রাহকগণ অর্থপ্রদান করার জন্য এএফএ-র অদ্যবধি প্রচলিত অন্য উপায়গুলির ব্যবহারকে বেছে নিতে পারেন,
- v. যেরকমভাবে যথোপযুক্ত হবে বলে বিবেচিত হবে সেভাবে ব্যাঙ্ক/কার্ড নেটওয়ার্কসমূহ দ্বারা উপযুক্ত বেগ যাচাই(অর্থাৎ, কতগুলি করে এরকম অল্প মূল্যের লেনদেনকে এক দিনে/ সপ্তাহে/ মাসে অনুমতি দেওয়া হবে) ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে,
- vi. বিদ্যমান চার্জব্যাক পদ্ধতিতে কোনও বদল হবে না।

4. অধিকন্তু, গ্রাহক সচেতনতা এবং সুরক্ষার স্বার্থে, যেসকল ব্যাঙ্ক এবং প্রাধিকৃত কার্ড নেটওয়ার্কসমূহ এরূপ সমাধান প্রস্তাব করেছে তাদের বলা হচ্ছে:

- i. গ্রাহকগণকে এবিষয়ে সচেতন করুন যে কেবলমাত্র ₹ 2000/- রাশি পর্যন্ত মূল্যের বিনা কার্ড-দাখিল লেনদেনের জন্য উক্ত সমাধান একটি আগ্রহ প্রকাশভিত্তিক সুবিধা এবং তাঁরা স্বাধীনভাবে অদ্যবধি প্রচলিত এএফএ-র অন্য উপায়গুলি ব্যবহার করেও অর্থপ্রদান করতে পারেন,
- ii. গ্রাহকগণকে এর ব্যবহার, ঝুঁকি এবং গ্রাহক-অসন্তোষ নিষ্পত্তি এবং বিবিধ প্রণালীর মাধ্যমে(ওয়েবসাইট, ফোন ব্যাঙ্কিং, এসএমএস, আইভিআর ইত্যাদি) অভিযোগ জানানোর কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করুন,
- iii. তালিকাভুক্তি/ পঞ্জীকরণের সময় সর্বোচ্চ দায়, যদি কিছু থাকে, যা গ্রাহকের উপর ন্যস্ত হবে এবং লেনদেন কার্যের সময় প্রতারণার ঘটনা ঘটলে সেটির তথ্যজ্ঞাপন করার বিষয়ে গ্রাহকের দায়িত্ব উল্লেখ করুন।
- iv. নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ফাটল ধরলে অথবা প্রাধিকৃত কার্ড নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি ঘটলে সেসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়ভার গ্রহণ করুন।

5. প্রাধিকৃত কার্ড নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ, যথাযথ নেটওয়ার্ক স্তরীয় ব্যবস্থাপনা/ সম্মতিসনদের (অ্যাগ্রিমেন্ট) মাধ্যমে, অপর প্রাধিকৃত কার্ড নেটওয়ার্কের কার্ডধারীদেরও অংশগ্রহণের সুবিধা দেবে।

6. [পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট 2007 \(2007-এর অ্যাক্ট 51\)](#) - এর ধারা 10(2) তৎসহ পঠিত ধারা 18-এর অধীনে এই আদেশবিধিটি জারি করা হল।

আপনার বিশ্বস্ত,

(নন্দা এস. দাভে)

মুখ্য মহা প্রবন্ধক